न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

193 / 2012
ाएमएस : 2012 / 00188

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–:वादी

बनाम

1. भीया राम पुत्र रतीराम जाति जाट साकिन बगीचा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. रामेश्वर पुत्र भीयाराम जाति जाट साकिन बगीचा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

–:प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 83–84–86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

स्थिति :–
तहसीलदार रायसिंहनगर
श्री सन्दीप जोशी , वकील प्रतिवादीगण

–: निर्णय :– दिनाक : 24.10.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार रायसिंहनगर ने राजस्थान कार की ओर से वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 49 एनपी के मु. 23 पं.नं. 234 / 330 रामनिवास पुत्र कानाराम जाति जाट साकिन रायसिंहनगर व मु.न. 22 ायाराम पुत्र रतीराम कौम जाट साकिन बगीचा के नाम खातेदारी दर्ज है। पटवारी हल्का बगीचा रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने उक्त भूमि चक 49 एनपी के मु.न. 23 कि.न. 15 व मु 22 के कि.नं. 11 की शीशम के 2 पेड काट लिये है जो प्रभारी पुलिस चौकी समेजा पूर्व मे जफत र रखे है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने प्रतिवादी संख्या एक व रामनिवास की खातेदारी कृषि भूमि से हरे वृक्ष को बिना मजूरी के काटा गया है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 84 । अवहेलना हैं। इसलिये प्रतिवादीगण को उक्त पेड की बिना स्वीकृति के काटे जाने की अवहेलना रने के कारण धारा 86 के तहत भारी से भारी शास्ति आरोपित की जानी उचित हैं। उक्त वाद पत्र ायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है। सरकार की तरफ से निशुल्क कोर्ट फीस किया या है अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण न. 1 ता पर भारी शास्ती आरोपित करने की कृपा करें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। तिवादीगण जरिए अधिवक्ता उपरिथत हुए। पटवार हल्का बगीचा ने जांच रिपोर्ट में अंकित किया है क चक 49 एनपी में भीयाराम व रामेश्वर द्वारा अपने रकवा में टालियों की शाखा कटाई की हुई थी दो पेड उखाडने के गढे के निशान जानी गयी व आस–पास के काश्तकारों को पुछने पर पता ला कि उखाडे गये दो छोटे पेड पुलिस थाना समेजा द्वारा पूर्व मे ही जब्त करलिये गये है व सकी सूचना पूर्व में पुलिस थाना समेजा को दी गई है। उक्त दो छोटे पेड मु.न. 23 के कि.न. 15 मु.न. 22 के कि.नं. 11 की सीमा से उखाडे गये है। पुलिस थाना अधिकारी समेजा ने इस ार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व / 13 / 65 दिनांक 05.02.2013 व राजस्व / 14 / 25 दिनांक 15.01 014 के संदर्भ में अपने पत्र क्रमांक 215 दिनांक 18.01.2014 से अवगत करवाया कि नत्थुराम पुत्र कानाराम जाति जाट साकिन वार्ड नं. 4 रायसिंहनगर ने परिवाद दिनांक 05.09.2012 को थाना हाजा को शिकायत प्राप्त हुई । उक्त शिकायत पर एएसआई की मौका ... गया। उनके द्वारा अंकित है कि नत्थुराम थोरी व भियाराम जाखड की जमीन एक ही मुरब्बा में पास है। मुरब्बा न 22 में 1 ता 10, नत्थुराम व 11 ता 25 भीयाराम जाखड की जमीन है भियाराम ... पुत्रों ने रखवाली हेतु खाला की वट पर टाली के खूटे गाड कर तारबन्दी की थी जिसको नत्थुराम ने मना करने पर भियाराम ने अपनी तरफ खूटें उखाडकर गाड दिये थे उनमे से कुछ टूट कर नीचे से टूट कर रह गये थें। वाद में वे खूटे फूटकर नीचे से टहनिया निकाल ली थी जिससे खाला के पानी रूकावट उत्पन्न हो रही थी जिस कारण भीयाराम द्वारा उक्त टहनियों को छाग दी थी। इस बात

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:03:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

लेकर नत्थुराम ने यह परिवाद पेश की कि दो पेड़ काट कर चोर कर ले गये। एएसआई ने … मे पाया कि भीयाराम द्वारा न तो पेड़ काटे गये और न ही चोरी कर ले गये है। हल्का …वारी दीपक माहर द्वारा भी अपने ब्यानों में बतलया कि मुताबिक रिकार्ड खाला की बट पर कोई … नही है परिवाद जांच द्वारा यह परिवाद झूंठी पाई गई मात्र खूटो का फरान था। जिसको भीया… द्वारा छगाई की थी। नत्थुराम थोरी ने भीयांराम व उसके पुत्र रामेश्वर लाल के खिलाफ व …दालत एमजेएम रायसिंहनगर 56(9) सीपीसी के द्वारा थानाप र एक मुकदमा नं. 79/15.12.2013 … धारा 447,427 सीपीसी का इसी आशय का दर्ज करवाया था जो जांच उपरान्त झूठा पाया गया …। एफआर अदम वक में पाया गया था। भीयाराम की जमीन के कि.नं. 15 का पास 1/2 किला है …सको लेकर भीयांराम, रामेश्वर लाल के साथ विवाद है इसी विवाद के चलते नत्थुराम भीयाराम …मेश्वर लाल के खिलाफ झूठे परिवाद / मुकदमा पेश करने का आदी है अतः नत्थुराम द्वारा परस्तुत …रिवाद झूठा पाया गया है। परन्तु तहसीलदार रायसिंहनगर के वाद पत्र व पटवार हल्का के अनुसार … शिशम के काटे गये जो पुलिस थाना समेजा के द्वारा जब्त किये गये है। ऐसा मौका रिपोर्ट एवं …ाद पत्र में अंकित किया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के विरूद्व शास्ति आरोपित किया जाना …यायोचित है

लिहाजा उक्त विवेचन एवं तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा वाद पत्र जो प्रस्तुत किया गया है इससे स्वीकार किया जाता है आदेश दिया जाता है कि अप्राथी सं. 1 व 2 बिना प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के दो वृक्ष शीशम को काटा गया है जो राज्य सरकार के हक में जस्त शुद्वा है। उक्त पेड़ो की निलामी करके राशि राजकोष में जमा करवायी जावे तथा अवैध रीति से पेडों को हटायें जाने के कारण अप्राथींगण पर 100/- रूपये प्रति पेड़ के हिसाब से 200 रूपया जुर्माना/शास्ति लगायी जाती है। पेडों की निलामी की राशि व शास्ति की राशि राजकोष में जमा करवाने हेतु तहसीलदार रायसिंहनगर को निर्देशित कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.10.2024 को लिखाया जाकर मजमा-ए-आम में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:03:01 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner